न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 39/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
इन्द्रमल दत्तक पुत्र स्व. मांगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी जायल जिला नागौर जरिये आम मुख्त्यार ओमप्रकाश पुत्र मूलचंद जाति ब्राह्मण निवासी जायल तहसील जायल जिला नागौर।		1हरीराम पुत्र गेनाराम जाति जाजडा जाट निवासी बालिया बास, जायल तहसील जायल। 2ग्राम पंचायत जायल जरिये ग्राम सेवक / पदेन सचिव / ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जायल।

उपस्थिति–

1. श्री ठाकुर प्रसाद राठी, अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 22.02.21

1– यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जायल द्वारा मिसल सं. 20/2000 जिसमे प्रस्ताव सं. 8 दिनांक 05.01.2002 जिसके द्वारा अप्रार्थी सं. 1 हरीराम के पक्ष में जारी पटटा सं. 30 दिनांक 26.08.2004 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 24.04.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से दिनांक 10.08.20 को रामकिशोर मुण्डेल अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। जिन्होने दिनांक 29.01.21 को No Instruction Pleed किया तथा अप्रार्थी सं. 2 दिनांक 18.03.20 को न्यायालय मे उपस्थित हुए। इसके पश्चात वो गैर हाजिर रहे है। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में आम मख्तीयार नामा दिनांक 04.07.18 की फोटोप्रति, मिसल सं. 20/2000 की फोटोप्रति, विक्रय पत्र की फोटोप्रति तथा बिजली बिल की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकर्ड मंगाया गया।

2– प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी है कि –

2(1)–प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण विधि के सुस्थापित सिद्वान्तो एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो से विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्टया निरस्तनीय है।

2(2)–उक्त प्रकरण मे पटटा राजस्थान पंचायती नियम 1996 के अन्तर्गत जारी हुआ है। उक्त नियमो मे बने विधिक प्रावधानो की पूर्णतया अनदेखी करते हुए उक्त पटटा जारी हुआ है। जबकि ऐसे विधिक प्रावधान आज्ञापक प्रकृति के है। जिनकी अनदेखी करके कोई पटटा जारी नही किया जा सकता। इस आधार पर प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्तनीय है।

2(3)–राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 के अन्तर्गत आबादी भूमि के क्रय करने के लिये लिखित मे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवप ऐसे आवेदन पत्र के साथ मे नक्शा संलग्न करने व स्थल निरीक्षण के व्ययो पेटे 25/– रू. एवं अगर नक्शा संलग्न नही किया गया है तो 25/– रू. की रसीद कटवायी जायेगी। हस्तगत प्रकरण मे जो आवेदन पत्र पेश किया गया है। उसके साथ कोई नक्शा नही था। ऐसी स्थिति मे नियम 145 के अनुसार स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रू. व नक्शा हेतु 25/– रू. कुल रू. 50/– पंचायत मे जमा होने चाहिये थे। जो राशि जमा नही हुई है। इस प्रकार से उक्त आवेदन पत्र ही विधिवत रूप से पेश आवेदन पत्र नही था। इस स्थिति पर किंचित मात्र भी गौर नही किया गया है। इस आधार पर प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्तनीय है।

2(4)–राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 146 के उपबिन्दु 1 के अनुसार सचिव ऐसे आवेदन को प्रारूप 21 मे संधारित रजिस्टर मे इन्द्राज करेगा व फाइल खोलेगा परंतु न तो सचिव ने प्रारूप 21 के रजिस्टर मे इन्द्राज किया है एवं न ही कोई फाइल संधारित की है। इस आधार पर प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्तनीय है।

2(5)– राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 146 के उपबिन्दु 2 के अनुसार सचिव द्वारा ऐसी लंबित

अपर कलक्टर, नागौर

पत्रावलियो के लिये तीन पंचो की समिति प्रति नियुक्त करने के लिये पत्रावली पंचायत की आगामी बैठक मे रखेगा। हस्तगत प्रकरण मे उक्त पत्रावली को सचिव द्वारा स्थल निरीक्षण के लिये तीन पंचो की नियुक्ति हेतु पत्रावली पंचायत मे नही रखी गई है। केवल मात्र सरपंच ने ही पत्रावली को बैठक मे लेकर जैर पुनरीक्षण निरस्तनीय है।

2(6)– राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 146 के उपबिन्दु 3 के अनुसार वांछित बिन्दुओ के आधार पर ऐसे नियुक्त पंचो को अपनी रिपोर्ट देनी होती है। हस्तगत प्रकरण मे पंचो द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट नही दी गई है। इसलिये इस आधार पर भी प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्तनीय है।

2(7)– राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 147 के अनुसार पंचायत द्वारा बैठक मे अंतिम रूप से यह विनिश्चय किया जायेगा कि प्रस्तावित क्रिय किया जाये या नही। हस्तगत प्रकरण मे ऐसा कोई अंतिम विनिश्चय नही लिया गया है। इस आधार पर प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्तनीय है।

2(8)– राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 148 के उपबिन्दु 1 के अनुसार आक्षेप आमंत्रित करने का प्रावधान किया गया है। हस्तगत प्रकरण मे इस प्रकार का कोई नोटिस विधि अनुसार जारी नही हुआ है। इस आधार पर प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्तनीय है।

2(9)– उक्त प्रकरण मे नियम 148 के अनुसार न तो आक्षेप आमंत्रित हुए है एवं न ही ऐसा कोई नोटिस क्रिय की जाने वाली भूमि के सहज दृश्य भाग पर लगाया गया है। इस प्रकार से उक्त प्रावधान की कोई पालना नही हुई है।

2(10)– उक्त प्रकरण मे जिन गवाहान के बयान लेना बताये गये है। उन गवाहान के बयान यहां तक कि स्वयं प्रार्थी के बयान जो केवल मात्र साइक्लो फार्म पर रिक्त स्थान भरकर लिया गया है। जिसमे कब्जा कितने वर्षो से है यह खाली पडा है। इस आधार पर प्रस्ताव एवं आदेश जैर अपील पुनरीक्षण निरस्तनीय है।

2(11)– उक्त प्रकरण मे भूमि जिसका क्रिय करना बताया गया है। उसकी कीमत महज मे 200/– रू. आंककर ग्राम पंचायत जायल को भारी आर्थिक नुकसान भी पहुचाया गया है। इस आधार पर प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्तनीय है।

2(12)– उक्त प्रस्ताव एवं आदेश जारी करने से पूर्व उक्त अचल सम्पति पर हरीराम का कब्जा होने के बारे मे कोई सबूत नही लिया गया था तथा हरीराम का कब्जा बतौर स्वामी है। यह किसी भी रूप या प्रकार से साबित नही था। फिर भी उक्त प्रस्ताव एवं आदेश पारित किये जाने गये है। इस आधार पर प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्तनीय है।

2(13)– उक्त भूमि जिसका पटटा जारी हुआ है, एक मात्र प्रार्थी की खरीदसुदा बंटसुदा स्वामित्व एवं अधिभोग की भूमि थी। जिस पर अप्रार्थी सं. 1 का कोई मालिकाना हक किसी भी रूप या प्रकार से नही बनता है। इस स्थिति पर किंचित मात्र भी गौर नही किया गया है। इस आधार पर प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्तनीय है।

2(14)– अप्रार्थी सं. 1 का वादग्रस्त सम्पति पर प्रार्थी के पिता स्व. मांगीलाल द्वारा उसे निशुल्क रहने के लिये दी गयी जायगा होने के कारण से उसका कब्जा परमिसिव पजेशन की परिभाषा मे आता है। ऐसा व्यक्ति कोई स्वामित्व संबंधी दस्तावेज अपने पक्ष मे तैयार नही करवा सकता। इस संबंध मे अप्रार्थी सं. 1 को बेदखल करने के लिये प्रार्थी द्वारा पृथक से कार्यवाही संस्थित किया जाना प्रस्तावित है। इस आधार पर भी प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्तनीय है।

2(15)– उक्त पटटा पत्रावली मे कही पर भी सचिव/पदेन ग्राम सेवक के कोई हस्ताक्षर नही है। केवल मात्र सरपंच ने ही अपने हस्ताक्षर करके संपूर्ण पत्रावली को कन्डेक्ट किया है। जबकि ऐसा करना विधि अनुसार गलत है। इस आधार पर आदेश एवं प्रस्ताव जैर पुनरीक्षण निरस्तनीय है तथा अपने कथन के समर्थन मे डीएनजे (राज.) 2015 (2) पेज 595, डीएनजे (राज.) 2013 (1) पेज 177, डीएनजे (राज.) 2010 (3) पेज 1147, डीएनजे (राज.) 2009 (2) पेज 982 तथा डीएनजे (राज.) 2005 (2) पेज 963 नजीरे प्रस्तुत की।

3– पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मिसल सं. 20/2000 मे ग्राम पंचायत जायल द्वारा प्रस्ताव सं. 8 दिनांक 5.1.2002 जिसके द्वारा पटटा सं. 30 दिनांक 26.08.2004 के द्वारा अप्रार्थी सं. 1 हरीराम के पक्ष में जारी पट्टा जारी किया गया है, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त पटटा रजिस्टर दिनांक 28.05.2004 से 26.08.2004 के अनुसार मिसल सं. 20 से पटटा सं. 30 अप्रार्थी हरीराम पुत्र गेनाराम के नाम से जारी किया जाना रिकार्ड से साबित है तथा रसीद सं. 28 दिनांक 26.08.04 के द्वारा 200/– की राशि भी जमा करवाया जाना प्रतीत होता है। अप्रार्थी द्वारा पटटा हेतु आवेदन दिनांक 19.8.04 को प्रस्तुत किया गया है। जिस प्रार्थना पत्र शुल्क 10/– रू. रसीद नं. 35 दिनांक 19.08.2000 के द्वारा जमा हुए है तथा ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 05.11.01 के प्रस्ताव सं. 10 के अनुसार तीन वार्ड पंचो की मौका निरीक्षण हेतु नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। जिनकी मौका रिपोर्ट दिनांक 18.11.01 का ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20.11.01 के प्रस्ताव सं. 5 मे अनुमोदन किया जाकर आपति विज्ञप्ति का नोटिस जारी किया गया है। तदुपरांत ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 05.01.2002 के प्रस्ताव सं. 8 के द्वारा 50 से 55 वर्ष पुराना मकान

अपर कलक्टर, नागौर

मानते हुए नियम 157 (ख) के अनुसार 200/- जमा कर पटटा जारी करने का विनिश्चय किया गया है तथा पत्रावली का भी निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संधारण किया गया है। जहां तक प्रार्थी का कथन कि यह भूमि उनके स्वामित्व की रही हो और उनके द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को किराये पर दी गई हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नही है तथा स्वत्व निर्धारण से संबंधित बिन्दु इस न्यायालय द्वारा निर्धारित भी नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति मे पटटा जैर निगरानी फर्जी अथवा कूटरचित दस्तावेज हो, उपलब्ध अभिलेख से यह पूर्णतया साबित नही होता, ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

4- उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

5- निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर